न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/157

मिसल नम्बर– 15 / 2025

1. शब्बीर हुसैन उम्र 69 वर्ष पुत्र मरहूम हबीब मोहम्मद,
2. हसीना बानो उम्र 65 वर्ष पत्नी शब्बीर हुसैन निवासी गण शिव मन्दिर के पास, आनंद विहार कोलोनी, ए ब्लॉक, अनंतपुरा तह0 लाडपुरा पी0एस0 अनंतपुरा जिला कोटा

–प्रार्थीगण।

बनाम

1. रईस मोहम्मद उम्र 46 वर्ष पुत्र शब्बीर हुसैन
2. आसमा कौशर उम्र 40 वर्ष पत्नी रईस मोहम्मद,
3. अब्दुल गनी उम्र 42 वर्ष पुत्र शब्बीर हुसैन
4. शाहिन परवीन उम्र 38 वर्ष पत्नी अब्दुल गनी निवासी गण शिव मन्दिर के पास, आनंद विहार कोलोनी, ए ब्लॉक, अनंतपुरा तह0 लाडपुरा पी0एस0 अनंतपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 22/5/25

उपस्थिति:–

1.श्री ठा0 सी0एम0 कुशवाह प्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सीनियर सीटीजन हैं जो कि शिव मन्दिर के पास, आनंद विहार कोलोनी, ए ब्लॉक, अनंतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) में स्थायी रूप से निवास करते आ रहे हैं। प्रार्थी क्रमांक–1 ने दिनांक 26.01.2011 को जरिये इकरारनामा पैमाईश 17 × 46 कुल 782 वर्ग फीट का भूखण्ड वाके आनंद विहार कोलोनी, ए ब्लॉक, अनंतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) में क्रय किया गया था। तदुपरांत प्रार्थीगण ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति से उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया गया था जो कि ग्राउंड़ + 2 मंजिल निर्मित है। जिसमे प्रतिपक्षीगण का किसी भी तरह का कोई आर्थिक सहयोग नहीं रहा है । इस प्रकार प्रार्थीगण ही उक्त मकान के एक मात्र मालिक चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के उक्त मकान पर प्रतिपक्षीगण जो कि प्रार्थीगण के बेटे–बहुएं हैं, अवैध रूप से काबिज हैं जिसमे कि उक्त मकान के फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे, एक किचन, हॉल व लेट–बाथ पर प्रतिपक्षी क्रमांक 1 व 2 कब्जा जमाए हुये हैं तथा सेकण्ड फ्लोर पर प्रतिपक्षी क्रमांक 3 व 4 तीन कमरे, एक किचन व 2 लेट–बाथ पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं तथा प्रार्थीगण को लगातार परेशान करते

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रहते हैं। प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत 4 मिलकर प्रार्थीगण से गाली–गलौच व लड़ाई–झगड़ा करते हैं। प्रतिपक्षीगण के लिए आये दिन प्रार्थीगण को पौश –पौश गालियाँ देना, उनका अपमान करना, उनकी देखभाल ना करना तथा उन्हे समय पर खाना–पीना नहीं देना तथा उनसे मारपीट करना आदि आम बात हो गई है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण की कोई सेवा सुश्रुषा नहीं करते हैं और उन्हें लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। प्रतिपक्षी क्रमांक–2 आसमा कौशर तो किसी भी तरह से प्रार्थीगण को उक्त मकान से बाहर निकालने पर आमादा है। वह प्रतिपक्षी क्रमांक–1 को कथन करती है कि " इन बुड़ढे–बूढ़िया को घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।" इस प्रकार प्रतिपक्षी क्रमांक–2 प्रार्थीगण को लगातार भलाबुरा कहकर कोसती रहती है। यहाँ तक कि प्रतिपक्षी क्रमांक–2 तो प्रार्थी क्रमांक–1 को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है और कथन करती है कि "बुड़ढे–बुढ़िया" तुम दोनों इस घर से निकल जाओ वरना में इस बुड्ढे को मेरे साथ बदसलूकी के झूठे मुकदमे में फंसा दूँगी। फिर क्या ईज्जत रह जायेगी तुम्हारी समाज में, भला इसी में है कि चूपचाप यहाँ से चले जाओ। प्रार्थीगण अब काफी वृद्ध एवं लाचार हो चुके हैं तथा काम धंधा करने में असमर्थ हैं। उनके पास अपनी आजीविका का कोई जरिया शेष नहीं रहा है। प्रार्थीगण के पास एक मात्र यही मकान है जिस पर प्रार्थीगण पूर्ण रूप से आश्रित हैं। परन्तु उस पर भी प्रतिपक्षीगण अवैध रूप से ताकत के बल पर कब्जा किये हाए हैं । जिसके कारण प्रार्थीगण दाने–दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं तथा अपने खाने–पीने एवं भरण पोषण के लिए उन्हें दूसरों की दया का मोहताज होना पड़ रहा है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण पर अनैतिक दबाव डालकर उनका मकान हड़पने की नियत से प्रार्थगण को जबरदस्ती घर से निकालने पर आमादा हैं। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण को लगातार उक्त मकान को छोडकर अन्यत्र कहीं चले जाने की धमकियां दे हैं। प्रार्थीगण ने अपने जीवन की सारी कमाई उक्त मकान को बनाने में लगाई है तथा उनके जीवनकाल का एक बड़ा हिस्सा उक्त मकान में ही व्यतीत हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण का उक्त मकान से एक भावनात्मक सम्बन्ध भी है। जिसके चलते प्रार्थीगण उक्त मकान को विक्रय नहीं करना चाहते हैं तथा अपने शेष जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से उक्त मकान में व्यतीत करना चाहते हैं। तथा प्रतिपक्षीगण के उक्त क्रुरतापूर्ण बर्ताव के कारण प्रार्थीगण को अत्यधिक शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक संताप का सामना करना पड़ रहा है। तथा उन्हें प्रतिपक्षीगण द्वारा आये दिन जान से मारने की धरमकियाँ दी जाती है तथा प्रतिपक्षीगण उक्त मकान को लेकर प्रार्थिगण की आपराधिक साजिश के तहत हत्या भी कारित कर सकते हैं। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण की किसी भी प्रकार से देखरेख ना करने एवं उनकी सेवा सुश्रूषा नही करने के कारण उक्त मकान में रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं सखते हैं उक्त परिस्थिति में प्रतिपक्षीगण को उक्त कान से बेदखल किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। तथा प्रार्थीगण प्रतिपक्षी गण से उनके भरण पोषण हेतू निर्वाह भत्ता राशि के रूप में 15000/– रूपये प्रतिमाह प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिन्हें अदा करने के लिए प्रतिपक्षीगण कानूनन बाध्य है। प्रार्थीगण को उक्त मकान में अपना जीवनयापन करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। परन्तु प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को सुख–सुविधा, रहन–सहन, भोजन, मनोरंजन आदि से वंचित कर रखा है तथा प्रतिपक्षीगण किसी भी तरह से प्रार्थीगण को उक्त मकान से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निकाल कर उक्त मकान को हड़प करना चाहते हैं। प्रार्थीगण की ओर से कई मर्तबा पुलिस से भी प्रतिपक्षीगण की शिकायतें की गई है । किन्तु पुलिस द्वारा माता–पिता व बहु–बेटों का आपसी पारिवारिक मामला बताकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके कारण प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण से अत्यधिक आतंकित हो चुके हैं तथा उनका जीना दुश्वार हो गया है। अतः श्रीमान् के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीगण के उक्त मकान से बेदखल किये जाने हेतु आदेशित किया जावे एवं प्रार्थीगण को भरण पोषण हेतू 15000/– रूपये प्रतिमाह प्रतिपक्षीगण से दिलवाया जावे एवं अदम अदायगी जीवन निर्वाह भत्ता राशि में उन्हें कारावास की सजा से दण्डित किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को वर्णित मकान शिव मन्दिर के पास, आनंद विहार कोलोनी, ए ब्लॉक अनंतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा बाबत भूखण्ड खरीद के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त मकान शिव मन्दिर के पास, आनंद विहार कोलोनी, ए ब्लॉक अनंतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में इस शर्त के साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाती है कि वे प्रार्थीगण के निवास हेतु उपरोक्त मकान के ग्राउण्ड फ्लोर को खाली कर प्रथम व द्वितीय मंजिल पर निवास करे तथा ग्राउंड फ्लोर पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश का पालना नही की जाती है कि तो प्रार्थी उक्त मकान से अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल षुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा